

**कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर**  
**कार्यालय आदेश**

निम्नांकित वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष का स्थानान्तरण/पदस्थापन कॉलेज संख्या 7 में अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा किया जाता है :-


S. No.	Name	Employee ID	Subject	Present Posting Place		New Posting Place		TA/DA applicable
				Name of School	District	Name of School	District	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ROOP NARAYAN GURJAR	RJSM199732001012	English	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SHISHOLAV (212793)	S.MADHOPUR	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL MAHESWARA (405784)(08100211901)	S.MADHOPUR	NO
2	SHER SINGH MEENA	RJPA201129011040	Mathematics	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DIDAYACH (217938)	S.MADHOPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHAKERI (217907)(08100502002)	S.MADHOPUR	NO
3	LOKENDRA SINGH	RJSM202032028190	Sanskrit	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHATUPURA (217927)	S.MADHOPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PARDAMPURA (227217)(08090500505)	KARAUJI	YES
4	MAKHA N LAL MEENA	RJNA200528027128	Sanskrit	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL MALARNA CHAUR (212804)	S.MADHOPUR	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL MAJHAUA BARI DHAULPUR (427116)(08080206501)	DHAULPUR	YES
5	AMIT KUMAR SHARMA	RJSM201232013424	Science	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JARAWATA (217898)	S.MADHOPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GANGWARA (212822)(08100216801)	S.MADHOPUR	YES
6	BABITA GUPTA	RJSM201432026473	Science	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAWANJANA CHAUR (217888) UNDER TRANSFER GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MALARANA CHAUR (212803)	S.MADHOPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SOORWAL (217900)	S.MADHOPUR	NO
7	GUNJAN CHAUHAN	RJSM200532009072	Science	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SOORWAL (217900)	S.MADHOPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MALARANA CHAUR (212803)	S.MADHOPUR	YES
8	PREM PRAKASH MEENA	RJGA200835023875	Science	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHITOLA (217864)	S.MADHOPUR	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL KUNDERA (217911)	S.MADHOPUR	NO
9	RAM PRASAD SAINI	RJSM200832036939	Science	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL KUNDERA (217911)	S.MADHOPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHITOLA (217864)	S.MADHOPUR	YES
10	NIKI BAI	RJKA201326001306	Social Science	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MATASULA (212583)	KARAUJI	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL PACHAGAW (211721)(08080304501)	DHAULPUR	NO

उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों की पालना निम्नांकित शर्तों के अनुसार की जानी सुनिश्चित करावे :-

- उक्त स्थानान्तरण आदेशों में परीक्षापूर्वक कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- स्थानान्तरित वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष को उसके सम्बन्धित विषय में पद पर ही कार्यग्रहण करवाया जावे। अन्य पद/विषय में विरुद्ध कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान प्रबन्धनात्मक शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थानित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार नगर नियम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी क्षेत्र के पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक कक्षा/परिचयकता/दृष्टिहीन/दानो पीत से दिव्यांग/गम्भीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्याघात) से ग्रसित हो तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- TSP क्षेत्र से NTSP क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।

/s/

- 6 राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त/माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निलम्बित कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- 7 स्थानान्तरित कार्मिक को शालादर्पण के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- 8 उक्त स्थानान्तरण आदेशों में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयनोपरान्त पदस्थापित कार्मिक का स्थानान्तरण यदि सामान्य विद्यालय में हो गया है तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।

  
 (साहन सिंह) 3/9/22  
 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा  
 भरतपुर संभाग भरतपुर

क्रमांक :-सनि/स्कूशि/भरत/संस्था-1/स्था0 व0380/2022/ 211

दिनांक-03.09.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा. संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा. संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
- 5 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 6 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य ड्राईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 7 स्टाफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- 8 संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण /कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से
- 9 संबंधित कार्मिक \_\_\_\_\_।
- 10 रक्षित फ़ाइल।

  
 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा  
 भरतपुर संभाग भरतपुर

**कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर**


**कार्यालय आदेश**

निम्नांकित बरिष्ठ शारीरिक शिक्षक एवं समकक्ष का स्थानान्तरण/पदस्थापन कॉलम संख्या 7 में अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा किया जाता है :-

S. No.	Name	Employee ID	Subject	Present Posting Place		New Posting Place		TA/DA applicabl e
				Name of School	District	Name of School	District	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ANGAD MEENA	RJKA201626 011161	PET (II Gr.)	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PHALSAWTA (212826) UNDER TRANSFER GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHAKERI (217907)	S.MADHOPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SELU (217903)(08100501501)	S.MADHOPUR	NO

उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों की पालना निम्नांकित शर्तों के अनुसार की जानी सुनिश्चित करावे :-

- उक्त स्थानान्तरण आदेशों में परीवीक्षाधीन कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- स्थानान्तरित बरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष को उसके सम्बन्धित विषय के पद पर ही कार्यग्रहण करवाया जावे। अन्य पद/विषय के विरुद्ध कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान स्वैच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार नगर नियम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी क्षेत्र के पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गम्भीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण) से ग्रसित हो तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- TSP क्षेत्र से NTSP क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त/माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निलम्बित कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को शालादर्पण के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
- उक्त स्थानान्तरण आदेशों में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयनोत्पन्न पदस्थापित कार्मिक का स्थानान्तरण यदि सामान्य विद्यालय में हो गया है तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।

  
(साहब सिंह)


संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा  
भरतपुर संभाग भरतपुर

क्रमांक -सनि/स्कूशि/भरत/संस्था-1/स्था0 व0शा0शि0/2022/ 212

दिनांक-03.09.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा. संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा. संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
- सयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- स्टाफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- संबन्धित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण /कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से
- संबन्धित कार्मिक \_\_\_\_\_।
- रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा  
भरतपुर संभाग भरतपुर


**कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर**  
**कार्यालय आदेश**

निम्नांकित वरिष्ठ सहायक एवं समकक्ष का स्थानान्तरण/पदस्थापन कॉलम संख्या 7 में अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा किया जाता है :-

S.No.	Name	Employee ID	post	Present Posting Place		New Posting Place		TA/DA applicable
				Name of School/office	District	Name of School/ office	District	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	SUNIL KUMAR RATHOD	RJSM1996 32002498	Senior Assistant	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL MANTOWN (217962) UNDER TRANSFER Office of District Education Officer (Head quarters) Elementary Education, S.Madhapur	S.MADHOPUR	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL MANTOWN (217962)	S.MADHOPUR	NO
2	PRABHU DAYAL GUPTA	RJSM1996 32002491	Senior Assistant	Office of District Education Officer (Head quarters) Elementary Education, S.Madhapur UNDER TRANSFER GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL MANTOWN (217962)	S.MADHOPUR	Office of District Education Officer (Head quarters) Elementary Education, S.Madhapur	S.MADHOPUR	NO

संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नलिखित शर्तों की अशरत: पालना सुनिश्चित करें :-

- 1 संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप शाला दर्पण के माध्यम से ही किया जाये।
- 2 राजस्थान स्वैच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी क्षेत्र के पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 3 राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त/माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक/निलम्बित कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।

  
(साहब सिंह) 3/9/22


संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा  
भरतपुर संभाग भरतपुर

दिनांक- 03.09.2022

क्रमांक :-संनि/स्कूशि/फा.स्थाना.मन्त्रा./2022/ 982

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा. संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा. संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 5 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 6 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 7 स्टाफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- 8 संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण /कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावे।
- 9 संबंधित कार्मिक \_\_\_\_\_।
- 10 रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)  
भरतपुर संभाग भरतपुर